सं.11013/3/2009-स्था(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लाक

नई दिल्ली,

दिनांक 21 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 – कार्य स्थलों में काम-काजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के संबंध में मार्ग निर्देश ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.2.98 तथा 13.7.1999 के का.ज्ञा. सं. 11013/10/97-स्था.(क) तथा दिनांक 12.12.2002 और 4.8.2005 के का.ज्ञा. सं. 13013/11/2001 स्था.(क) तथा दिनांक 2.2.2009 के का.ज्ञा. संख्या 13013/3/2009-स्था.(क) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि काम-काजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने तथा इस संबंध में जागरूकता विशेषतः कामकाजी महिलाओं के बीच सृजित करने हेतु हमेशा एक प्रभावी शिकायत तंत्र मौजूद रखने की आवश्यकता है । इस शिकायत तंत्र तथा जांच कार्रवाई के मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं :-

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (ग) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सरकारी सेवक किसी भी समय कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी है, वह ऐसे कार्य स्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीडन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा । "यौन उत्पीड़न" में सभी प्रकार का अनचाहा यौन व्यवहार चाहे वह सीधे तौर पर अथवा अन्यथा किया गया हो, शामिल है जैसे :-

(क) शारीरिक स्पर्श तथा कमोद्दीप्त प्रणय-चेष्टाएं;

(ख) यौन-स्वीकृति की मांग अथवा प्रार्थना;

(ग) काम-वासना से प्रेरित फ़ब्तियां

(घ) सी कामोत्तेजक कार्य-व्यवहार/सामग्री का प्रदर्शन;

(ङ) यौन संबंधी कोई भी अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक तथा सांकेतिक आचरण

(ii)1 : चाहे ऐसा आचरण विधि के अंतर्गत किसी अपराध का रूप लेता है अथवा नहीं या सेवा-नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता हो अथवा नहीं, पीड़ितों द्वारा की गई शिकायत के निवारण

के प्रयोजन से नियोक्ता के संगठन में एक उपयुक्त शिकायत-तंत्र सृजित किया जाए । ऐसे शिकायत-तंत्र, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(iii) उपर्युक्त शिकायत-तंत्र में, जहां कहीं आवश्यक हो, गोपनीयता बनाए रखे जाने के साथ-साथ एक शिकायत-समिति और एक विशेष परामर्शदाता की सेवाओं अथवा अन्य सहायक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

शिकायत-समिति की अध्यक्षता किसी महिला द्वारा की जाए तथा उसके कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों के रूप में महिलाएं हों । इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ स्तर पर किसी अनुचित दबाव अथवा प्रभाव की संभावना नहीं होने देने की दृष्टि से ऐसी शिकायत-समिति में किसी तीसरे पक्ष (पार्टी) किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा अन्य निकाय, जिसे यौन-उत्पीड़न के मुद्दे से संबंधित जानकारी हो, को शामिल किया जाए ।

शिकायत – समिति की शिकायतों से संबंधित सरकारी विभाग को और उसके द्वारा की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

नियोक्ता तथा प्रभारी व्यक्ति संबंधित सरकारी विभागों को शिकायत-समिति की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(iv) यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों के निवारण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता, काफी उच्चतर रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि जांच को विश्वसनीयता प्रदान की जा सके ।

(v) प्रत्येक मंत्रालयो अथवा विभाग अथवा कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने हेतु स्थापित शिकायत समिति को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच समिति समझा जाएगा और शिकायत समिति ऐसी शिकायतों की जांच करने हेतु यदि कोई अलग से प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है तो जांच, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया वर्ष 2004 में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में एक परन्तुक जोड़ा गया था (प्रति संलग्न) के अनुसार जांच करेगी ।

(vi) केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन मंत्रालयों/विभागों और संगठनों (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) में भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करने के लिए मंत्रिमण्डल, सचिवालय के दिनांक 26.09.2008 के आदेश सं. 1 (प्रति संलग्न) के अनुसार गठित शिकायत समिति उपर्युक्त अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करेगी । प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में गठित मौजूदा शिकायत समितियां ऐसे सरकारी सेवकों के खिलाफ ही यौन उत्पीड़न की शिकायतों

की जांच करेगी जो मंत्रिमण्डल सचिवालय के दिनांक 26.09.2008 के आदेश सं. 1 के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

(vii) यह सुनिश्चित किया जाए कि यह शिकायत समिति हर समय विद्यमान रहेगी तथा जब कभी अपेक्षित हो इसकी संरचना में तुरन्त परिवर्तन किया जाए तथा उसका व्यापक प्रचार किया जाए । शिकायत समिति की संरचना को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की वेबसाइट पर भी रखा जाए ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे पूर्वोक्त को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें ।

(सी.बी. पालीवाल)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधान मंत्री कार्यालय ।
5. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
11. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाईट (www.persmin.nic.in) पर डाला जाए ।

(200 अतिरिक्त प्रतियां)